सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 300 राँची, शुक्रवार, 5 जून, 2026 (ई०)

## महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

---

संकल्प

5 मार्च, 2019

**विषय: राज्य योजनान्तर्गत संचालित "सामाजिक कुरीति निवारण योजना" में संशोधन की स्वीकृति।**

**ज्ञापांक 05/म०स०/रा०यो०-185/2018-566**–समाज में फैले कुरीतियों का समापन तथा अच्छी प्रथाओं को प्रोत्साहन हेतु राज्य योजनान्तर्गत सामाजिक कुरीति निवारण योजना की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या 2872, दिनांक 31.10.2018 द्वारा दी गई थी।

2. दिनांक 25.02.2019 को राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सामाजिक कुरीति निवारण योजना के संशोधित स्वरुप की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से इस योजनान्तर्गत निम्न कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा :-

i. **<u>डायन प्रथा उन्मूलनः-</u>** इस कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य में व्याप्त डायन-कुप्रथा के उन्मूलन हेतु वृहत स्तर पर सेमिनार का आयोजन तथा विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरुककिया जायेगा।

ii. **सामूहिक विवाह कार्यक्रम** : - दहेज प्रथा का अन्त एवं विवाह में फिजूल खर्ची पर लगाम के उद्देश्य से सामाजिक कुरीति निवारण योजनान्तर्गत "सामुहिक विवाह कार्यक्रम "को निम्नवत्संचालित किया जायेगा

(क) सामूहिक विवाह सम्पन्न कराने वाले आयोजनकर्ता को सामूहिक विवाह के आयोजन हेतु प्रति वैवाहिक जोड़े केलिए रु० 2000/- (दोहजाररुपये) की दर से प्रोत्साहन राशि के रुप में आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। सरकारी स्तर से किये जाने वाले आयोजनों के लिए वास्तविकता के अनुरुप राशि व्यय की जायेगी, जो अधिकतम रु० 2000/- प्रति वैवाहिक जोड़े से अधिक नहीं होगी।

(ख) सरकारी कर्मियों के लिए यह राशि देय नहीं होगी।

(ग) आयोजनकर्ता, कोई भी व्यक्ति / संस्था हो सकती है। आयोजनकर्ता के रुप में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भी हो सकते हैं।

(घ) सामुहिक विवाह आयोजन के पूर्व आयोजनकर्ता को संबंधित जिले के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को सूचित करना आवश्यक होगा।

(ङ) सामुहिक विवाह का आयोजन कम से कम 10 वैवाहिक जोड़ा का विवाह होने पर मान्य होगा।

(च) कार्यक्रम आयोजित करने के 03 माह के अन्दर आवेदन दिया जाना अनिवार्य होगा।

(छ) आवेदन के साथ वर एवं वधु का आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ज) विवाह के समय क्धु की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथावर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए।

(झ) विवाह करने वाले जोड़े को भी यह घोषणा-पत्र देना होगा कि उनका विवाह अमुक संस्था/व्यक्ति द्वारा कराया गया है ।

(ञ) राशि का भुगतान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा संबंधित आयोजनकर्ता संस्था/व्यक्ति को उनके खाते में APBS/NEFT/RTGS/PFMS के माध्यम से किया जायेगा।

iii. **अंतिम संस्कार के लिए अनुदानः-***इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सामूहिक अंतिम संस्कार या लावारिश शव के अंतिम संस्कार हेतु रु० 2000/- (दो हजार रुपये) प्रतिशव की दर से राशि अंतिम संस्कार के आयोजनकर्ता को प्रदान की जायेगी। इस कार्यक्रम को निम्नवत्संचालित कराया जायेगा*

(क) अनुदान राशि आयोजनकर्ता संस्था/व्यक्ति को प्रदान की जायेगी।

(ख) अंतिम संस्कार के पूर्व आयोजनकर्ता संस्था/व्यक्ति द्वारा स्थानीय थाना से अनुमति किया जायेगा ।

(ग) अंतिम संस्कार के पूर्व आयोजनकर्ता संस्था/व्यक्ति द्वारा संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा ।

(घ) अनुदान राशि के दावे के साथ स्थानीय थाना से निर्गत अंतिम संस्कार केशवों की संख्या संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा ।

(ङ) राशि का भुगतान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा आयोजनकर्ता संस्था/व्यक्ति को उनके खाते में APBS/NEFT/RTGS/PFMS के माध्यम से किया जायेगा ।

3. इस योजनान्तर्गत 2018-19 तक संचालित निम्न कार्यक्रमों के संचालन के संबंध में वित्तीय वर्ष 2019-20 से निम्न निर्णय लिए जाते हैं

i. इस योजना अन्तर्गत संचालित अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन हेतु आर्थिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक सहायता के रुप में रु0 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) मात्र प्रदान करने का प्रावधान था। राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संचालित है, जिसमें विवाह के अवसर पर कन्याओं को रु० 30,000/- (तीस हजार रुपये) मात्र प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार अर्न्तजातीय विवाह को प्रोत्साहन हेतु आर्थिक सहायता कार्यक्रम दोहरा लाभ का मामला प्रतीत होता है। अतः इस कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 2019-20 से बंद किया जाता है ।

ii. इस विभाग द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के केस संख्या -844/34/10/07-08 में आयोग द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में मृतक विनोद उराँव की पत्नी श्रीमती सिमलिया उराँव, ग्राम+पो०+थाना विशुनपुर, जिला-गुमला को रु० 3000/- (तीन हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह प्रदान किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि National Human Rights Commission द्वारा दिनांक 02.07.2012 को इस संबंध में आदेश दिया गया है कि Schedule Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities)Rules, 1995 के Rule 12 (4) के Amended entry 21 का compliance सुनिश्चित किया जाय। चूँकि Schedule Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act के अन्तर्गत कार्रवाई अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है, अतः महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। अतः महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित इस कार्यक्रम का संचालन वित्तीय वर्ष 2019-20 से बंद किया जाता है।

iii. National Commission for Protection of Child Rights द्वारा दिनांक-03.05.2012 को पारित आदेश के आलोक में दुष्कर्म पीड़िता लखीकुंडी मिडिल स्कूल, दुमका की छात्रा को 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह की दर से मुआवजा राशि की भुगतान की जा रही है । गृह विभाग, झारखण्ड द्वारा दिनांक 03.08.2012 को ज्ञापांक-3735 द्वारा Jharkhand Victim Compensation Scheme, 2012 अधिसूचित की गई। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या 5190 दिनांक 29.09.2018 द्वारा झारखण्ड पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम 2016 अधिसूचित की गई । उक्त योजनान्तर्गत Rape Victim को मुआवजा देने का प्रावधान है। अतः महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। अतः इस कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 2019-20 से बंद किया जाता है ।

4. विभागीय संकल्प सं0-2872, दिनांक 31.10.2018 वित्तीय वर्ष 2019-20 से विलोपित समझा जायेगा ।

**अमिताभ कौशल,**
सरकार के सचिव

---

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 300 - 50